राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3044 / SEIAA/2022
Date: 10/2/22

प्रति,

खनिज अधिकारी,
जिला – **हरदा** (म.प्र)

विषयः– प्रकरण क्र. 8713/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील जाट आत्मज श्री रामकिशोर जाट, मकान नं 69, ग्राम सोनतलई, तहसील व जिला हरदा (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7205 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.251 हेक्टेयर, खसरा 88/6, ग्राम बांगरूल, तहसील हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 702 वी बैठक दिनांक 28.01.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया ....

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला हरदा के पत्र क्र 2590 दिनांक 12.02.2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान भी होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में खनिज अधिकारी, हरदा से प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त किया जाये जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में आनें वाली स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करै। जिससे प्रकरण में यथाउचित अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

o/c
(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 3045 /SEIAA/2022 दिनांक – 10/2/22

प्रतिलिपि :–

1. श्री सुशील जाट आत्मज श्री रामकिशोर जाट, मकान नं 69, ग्राम सोनतलई, तहसील व जिला हरदा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

o/c
प्रभारी अधिकारी